राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/17/1255 जयपुर, दिनांकः 1/5/17

आयुक्त एवं निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेस–नोट

राजसमंद जिले की पंचायत समिति भीम की **ग्राम पंचायत कूकडा, लसाडिया, थानेटा** एवं सवाईमाधोपुर जिले की पंचायत समिति बामनवास की **ग्राम पंचायत भांवरा** का कार्यकाल माह मई, 2017 में पूर्ण हो रहा है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उक्त चारों ग्राम पंचायतों के आम चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आम चुनाव कार्यक्रम एवं अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–

चुनाव कार्यक्रम

1.	नियम 23 के सपठित नियम 55, 56 व 57 के अन्तर्गत लोक नोटिस जारी करना	दि. 03.05.2017 (बुधवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा व वापिसी	दि. 11.05.2017 (गुरूवार)
	समय	
	(1) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति	प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक
	(2) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वान्ह 11.30 बजे से
	(3) अभ्यार्थिता वापसी	अपरान्ह 3 बजे तक
3.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, होगा	दि. 16.05.2017 (मंगलवार)
4.	मतदान का समय	प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक
5.	मतगणना	दि. 16.05.2017 (मंगलवार) (मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	उप सरपंच का चुनाव	दि. 17.05.2015 (बुधवार)

उक्त चारों ग्राम पंचायतों के आम चुनाव कराने के लिए दिनांक 01.01.2017 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार मतदाता सूची का उपयोग किया जायेगा।

मतदाताओं की पहचान

मतदान हेतु आने वाले मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसे जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता फोटो मतदान पहचान पत्र प्रस्तुत करने मे असफल रहता है तो इसके लिए राजस्थान निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 3131/10.09.2009, 4796/09.11.2009 एवं 494/11.02.2014 के द्वारा अनुमोदित कुल 19 अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेजो मे से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इनमें राशन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, पारिवारिक नरेगा कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, स्वतन्त्रता सैनानी पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, छात्र पहचान पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, सम्पति दस्तावेज, बैंक/डाक घर, किसान पास बुक, सेवा पहचान पत्र. आयकर पहचान पत्र,

पासपोर्ट एवं शस्त्र लाईसेंस शामिल है। उक्त 19 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज केवल वे ही मान्य होंगे जो दिनांक 1 मार्च, 2017 से पूर्व के हैं। यदि परिवार के मुखिया के पास उक्त फोटो दस्तावेज है और उस परिवार के किसी सदस्य के पास नही है, तो परिवार के मुखिया की पहचान के आधार पर भी मतदाता की पहचान स्थापित की जा सकेगी, बशर्ते कि परिवार का मुखिया भी साथ हो। अतः सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान के समय आयोग के उक्त आदेश के तहत दस्तावेजों को साथ लायें,, जिससे मतदान शान्तिपूर्वक एवं निष्पक्षता से सम्पन्न हो सके।

ई.वी.एम. का उपयोग

उक्त चारों ग्राम पंचायतों के आम चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से करायए जायेगें।

आदर्श आचार संहिता

चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता उक्त चारों ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।

1/5/17

(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
सचिव